



## पुलिस कमिशनरेट, लखनऊ

### प्रेस-विज्ञप्ति

#### विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07-05-2021

दिनांक 06/07-05-2021 को रात्रि थाना बाजारखाला 04, गाजीपुर 01 गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी०सी०पी० उत्तरी

#### अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

थाना महानगरः-दिनांक 06-05-2021 को एस०आई० श्री परवेज अहमद थाना महानगर द्वारा अभियुक्त 01-रोहन पुत्र महावीर प्रसाद निवासी-512/21 आठवल्ल गली निशातगंज थाना महानगर लखनऊ को आर्य कन्या इन्टर कालेज के पास दूसरी गली में पीपल के पेड़ के नीचे निशातगंज महानगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 40 अदद देशी शराब की ७०८० ( 08 लीटर) बरामद कर थाना महानगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

#### अभियुक्त गिरफ्तार

थाना गुडम्बा-दिनांक 07-05-2021 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि दिनांक 06-05-2021 को वादी श्री रणविजय मौर्य पुत्र स्व० राम विलास मौर्य निवासी ग्राम नेवादा पो० गोयला थाना चिनहट लखनऊ ने थाना गुडम्बा पर अपनी बहन शिल्पी मौर्य उम्र करीब 25 वर्ष के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 183/2021 धारा 498ए/304-बी भाद्रि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 01-विष्णु (पति) 2-रवि (देवर) 3-सोम (देवर) 4-नेहा (ननद) 5-सास के विरुद्ध इस सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था कि दिनांक 05-05-2021 को समय 20.15 बजे वादी की बहन शिल्पी मौर्य उम्र करीब 25 वर्ष को ससुरालीजनो द्वारा दहेज की अतिरिक्त माँग को लेकर प्रताडित करना व जिससे फौसी लगाकर हत्या करना जिसकी दौराने इलाज विवेकानन्द अस्पताल में मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना एसीपी गाजीपुर द्वारा की जा रही है दिनांक 06-05-2021 को विवेचना के दौरान एसीपी गाजीपुर के निर्देशन में एस०आई० श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना गुडम्बा द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त 01- विद्युत कुमार मौर्य पुत्र स्व० राजेन्द्र कुमार 02-श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० राजेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम बेहटा थाना गुडम्बा लखनऊ को ग्राम बेहटा, गुडम्बा से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा०द०वि०

थाना मोहनलालगंजः-दिनांक 07-05-2021 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 06-05-2021 को वादी श्री राहुल सिंह पुत्र रतीभान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट

मांखी थाना माखी जनपद उन्नाव ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी डी०सी०एम० नं० यूपी 78 सीएन 7130 को उन्नाव से गौरीगंज अमेठी लेकर जा रहा था जिसमें हिन्दूस्तान लीवर फेयर लवली, क्रीम साबुन आला तथा सैम्पू आदि सामान लदा था। दिनांक 5/6-05-2021 की रात्रि को वादी का डीसीएम ग्राम गौरी कलोनी के पास मोहनलालगंज में खराब हो जाने के कारण गाड़ी रोक दिया था कि उक्त डीसीएम का तिरपाल को काटकर डीसीएम से लगभग एक लाख सैतीस हजार दो सौ अड़सठ रूपए का सामान अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु०अ०सं० 175/2021 धरा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस०आई० श्री ओमपाल सिंह द्वारा की जा रही है।

